न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 01/2022
जीसीएमएस नम्बर :: 2022/1

अपीलाण्ट्स :–
सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री मुन्नालालजी, जाति– ओसवाल जैन (लौढा), निवासी–44 सोजतिया बास पाली, तहसील एवं जिला–पाली 306401

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–
1. सुशील कुमार मुन्दडा वल्द श्री राधेश्याम मुन्दडा, जाति – माहेश्वरी निवासी–59, जय नगर रामदेव रोड पाली, तहसील एवं जिला–पाजी 306401 (राज.)
2. रणजीतसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह, जाति–सिख सरदार, पता– 01 धालीवाल फॉर्म हाउस, निम्बाड़ा रोड़ पाली व हनुमान बगीची, नहर के पास पाली, तहसील एवं जिला–पाली।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाणा
रेस्पोडेण्ट्स 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्रजी व्यास

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 06.03.2024

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के विरूद्ध तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3515 दिनांक 25.08.2021 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र व वक्त बहस कथन किया कि मौजा कस्बा पाली चक नम्बर 1 से खसरा नम्बर 749 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है। अपीलार्थी एवं स्व. मुन्नालालजी के संयुक्त हिन्दु परिवार सदस्यों/ विधिक वारिसान् ने एक दीवानी मूलवाद बाबत् घोषणा निरस्त करने विक्रय विलेख एवं स्थायी निषेधाज्ञा का श्रीमान् जिला न्यायायधीश पाली के न्यायालय में दिनांक 25.09.2001 को प्रस्तुत किया जो वर्तमान में श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश महोदय पाली के न्यायालय में दीवानी मूलवाद संख्या 371/2015 पर दर्ज होकर आज भी विचाराधीन है। स्व. श्री मुन्नालालजी के पुत्र जवाहरलाल, पुत्रवधु फुलवंती पत्नी जवाहरलाल, पुत्र सुरेन्द्रकुमार पुत्र, सुरेशकुमार, पुत्रवधु विमलादेवी के नाम से विभिन्न सम्पतियां क्रय की गई व परिवार के सदस्यों ने आपसी समझौता इकरारनामा अपने–अपने हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ

निशान कर निष्पादित किये व नोटरी से तस्दीक करवाया जिसमें स्वर्गीय मुन्नालालजी के संयुक्त हिन्दू परिवार के उपरोक्त तमाम सदस्यों/विधिक वारिसानों ने यह स्वीकार किया की तमाम सम्पतियां श्री मुन्नालालजी द्वारा अपने जीवनकाल मे अपनी पूंजी अपने पुत्र जवाहरलाल, पुत्र वधु फुलवंती पत्नि जवाहरलाल, पुत्र सुरेन्द्र कुमार, पुत्र सुरेश कुमार एवं अन्य सदस्यों के नाम से विभिन्न सम्पतियां क्रय कर आपसी समझौता इकरारनामा अपने–अपने हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ निशान कर निष्पादित किया। अपीलार्थी सुरेन्द्र कुमार ने श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश महोदय (फास्ट ट्रेक नम्बर 2) पाली के न्यायालय में एक अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र संख्या–04/2006 प्रस्तुत किया जो अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक नम्बर–2) पाली ने पारित किया कि वाद में वर्णित एवं प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 मे वर्णित एवं प्रार्थना–पत्र के पद संख्या 1 मे उल्लेखित खसरा नम्बरान की भूमि को मूलवाद के निर्णय तक बेचाण या अन्य तरीके से हस्तानान्तरित नहीं करे। प्रतिवादी पक्षकार फूलवन्ती देवी ने जरिये अपंजीकृत मुख्तियार श्रवणदास वल्द रामदास वैष्णव के वाद–पत्र में वर्णित सम्पति उक्त दीवानी मूलवाद के विचाराधीन रहते सआशय उपरोक्त वर्णित अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र संख्या 04/2006 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2006 की जानबूझकर उल्लंघन करते हुए पाली के चक संख्या 01 में स्थित खसरा संख्या 749 रकबा 1.05 बीघा में से 2/3 हिस्सा रकबा 0.83 बीघा भूमि जरिये पंजीबद्ध बेचाणनामा दिनांक 10.04.2006 के रेस्पोडेण्ट रणजीतसिंह वल्द जोगेन्द्रसिंह सिख को बेचाण किये तथा उक्त बेचाणनामा उप–पंजीयक पाली के कार्यालय में पंजीबद्ध करवाया। जिस बेचाण को पंजीयन नियमावली 1955 के नियम 39 का नोट लगाकर पंजीबद्ध किया गया। उक्त पंजीबद्ध बेचाणनामा दिनांक 10.04.2006 की प्रार्थी सुरेन्द्रकुमार को जानकारी होने पर प्रार्थी सुरेन्द्रकुमार ने फूलवन्ती वगैरह के विरूद्ध अपर जिला न्यायालय पाली में अवमानना याचिका संख्या सी.एम. संख्याा 270/2015 प्रस्तुत की जो याचिका न्यायायल द्वारा उक्त याचिका के अप्रार्थी संख्या 02,03,05 से 08 के आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. को स्वीकार कर अपने अपने आदेश दिनांक 19.11.2019 द्वारा निरस्त की। उक्त आदेश दिनांक 19.11.2019 के विरूद्ध अपीलार्थी सुरेन्द्र कुमार ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 106/2020 प्रस्तुत की जो माननीय न्यायालय ने सुनवाई हेतु अपने आदेश दिनांक 10.11.2020 द्वारा ग्रहण कर ली है। रेस्पो. रणजीतसिंह ने उपरोक्त वर्णित दीवानी मूलवाद के विचाराधीन रहते एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र सी.एम. 04/2006 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2006 की जानबूझकर उल्लंघन किया है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त कर नामान्तरकरण की कार्यवाही उपरोक्त वर्णित दीवानी मूलवाद संख्या 371/2015 के अन्तिम निस्तारण तक keep abeyance में रखी जाने का आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर, पाली

अधिवक्ता रेस्पो. ने वक्त बहस अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि विक्रेता रणजीतसिंह के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित नहीं थी तथा रणजीतसिंह द्वारा किये गये फूलवन्ती से क्रय को भी सिविल न्यायालय अपने आदेश की अवमानना होना नहीं पाता है एवं रणजीत सिंह(रेस्पो. संख्या 02) रेस्पो. संख्या 01 सुशील कुमार जो कि प्रकरण में पक्षकार ही नहीं है एवं उनके द्वारा सद्भावी रूप से क्रय किया है। विक्रेता फूलवन्ती देवी के विरूद्ध

न्यायालय में न तो कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित है तथा न ही वे संबंधित वाद में पक्षकार है। अतः अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों की श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट का मूल कथन यह है कि सिविल न्यायालय में चल रहे अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रचलित अस्थाई निषेधाज्ञा के दौरान वादग्रस्त भूमि का विक्रय हस्तानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए था। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि माननीय सिविल न्यायालय द्वारा जो स्थगन जारी किया गया था उक्त स्थगन के संदर्भ में मूल विक्रेता फूलवन्ती के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही अपर जिला न्यायाधीश, पाली के दीवानी विविध प्रकरण संख्या 270/15 (सीआईएस 275/2014) से ड्रॉप हुई है तथा प्रकरण में फूलवन्ती द्वारा विवादित आराजी संख्या 749 में रणजीत सिंह को किये गये विक्रय को अस्थाई निषेधाज्ञा का उल्लंघन नहीं माना है तथा अपने अवमानना प्रकरण में निर्णय पारित किया है। इस प्रकरण में रणजीत सिंह द्वारा अपने क्रय किये गये 2/3 हिस्से में से 1/7 वां हिस्सा रेस्पो. संख्या 01 को विक्रय किये जाने को अस्थाई निषेधाज्ञा का उल्लंघन एवं lis pendens का प्रकरण बताते हुए विवादित नामान्तरकरण को abeyance में रखवाने का अनुरोध करते हुए अपील प्रस्तुत की है। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि रणजीतसिंह के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित नहीं थी तथा रणजीतसिंह द्वारा किये गये फूलवन्ती से क्रय को भी सिविल न्यायालय अपने आदेश की अवमानना होना नहीं माना है तो प्रकरण में रणजीत सिंह(रेस्पो. संख्या 02) द्वारा रेस्पो. संख्या 01 सुशील कुमार जो कि प्रकरण में पक्षकार ही नहीं है, उनके द्वारा सद्भावी रूप से क्रय किये गये भूमि के नामान्तरकरण को यह न्यायालय किस प्रकार से अवैध मान सकता है, इससे संबंधित कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक आधार नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरे RRD 1989 page no 771 प्रस्तुत की है जिसमें न्यायिक निर्देश विक्रय को अस्थाई निषेधाज्ञा के होने पर अवैध माने जाने का निर्देश है परन्तु इस प्रकरण में सिविल न्यायालय द्वारा ही पूर्व विक्रेता एक क्रेता के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण नहीं होना माना है तो अब नवीन विक्रेता एवं नवीनतम क्रेता के विरूद्ध न्यायालय का आदेश प्रभावी हो ऐसा कोई तथ्य रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतएव यह नजीर इस प्रकरण में लागू नहीं होती है। इसके अलावा अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अन्य न्यायिक नजीरे RRD 1999 page no 232 RDJ 2000 page no 53 तथा 2013 DNJ (SC) page no 561 प्रस्तुत की है जो न्यायालय आदेश की उल्लंघना में दर्ज नामान्तरकरण को अवैध मानने तथा lis pendens के प्रकरण में नामान्तरकरण को अवैध मानने का न्यायिक निर्देश है परन्तु इस प्रकरण में रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध न्यायालय में कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित हो तथा वे संबंधित वाद में पक्षकार हो ऐसा कोई तथ्य रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार इस प्रकरण में हम

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

विक्रय को न्यायालय आदेश की अवमानना होकर नामान्तरकरण को विधि विरूद्ध होने का प्रथम–दृष्ट्या कोई प्रमाण नहीं पाते है। अतः अपील–अपीलाण्ट सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली

जिला कलेक्टर, पाली